24 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 50वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 50.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी एवं आईटीईएस / बीपीओ / केपीओ	40.469	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	विलिंगडन द्वीप का दक्षिणी छोर, सर्वे नंबर 2578/4, 1166, थोप्पुमपैडी रामेश्वरम गांव	एफटीडब्ल्यूजेड	40.85	हां	हां	नया
(iii)	मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रमनक्कापेटा गांव	बहु उत्पाद	1013.6	हां	हां	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।
(iv)	मैसर्स पीआरपी ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स	कालकुर्ची, चंद्रन कुलम एवं मल्लनकिनारी गांव, करियापती तालुक, विरुद्धनगर जिला, तमिलनाडु	ग्रेनाइट	104.373	हां	हां	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।
(v)	मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	मंजरी बुडरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	जैव प्रौद्योगिकी	11.50675	हां	संख्या	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 50.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) महरुमकुर्ड और चावर्धल गांव में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोलर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स एयर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

101.282 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एयर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 1750 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक एवं स्पेशियलिटी गैस उत्पादन एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण एवं विकास के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक

करार दिनांक 14 सितंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 5000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने तथा खाद्य परीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 19 सितंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार गया और आस्थगित कर किया गया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि आवेदक ने इस प्रकार बताया है :

(i) **वे ड्यूटी तथा टैक्स फ्री ढंग से केवल पूंजी तथा शुरुआती स्थापना की मदें खरीदेंगे,**
(ii) **वे डीटीए तथा एसईजेड यूनिटों से प्राप्तियों के लिए अलग राजस्व बहियां रखेंगे,**
(iii) **वे डीटीए राजस्व के लिए किसी आईटी करावकास का दावा नहीं करेंगे,**
(iv) **सभी डीटीए बिलिंग लागू सेवा कर के साथ की जाएगी,**
(v) **सभी उपभोज्य वस्तुओं का क्रय केवल लागू शुल्कों और करों का भुगतान करके किया जाएगा जब तक कि वे डीटीए सैंपल की जांच करना बंद नहीं कर देंगे।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स बी-एबल ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 19 सितंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार गया और आस्थगित कर किया गया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि आवेदक ने इस प्रकार बताया है :

(i) **वे बाहर से प्रशिक्षित किए जाने वाले लोगों तथा स्वयं यूनिटों से प्रशिक्षित किए जाने वाले लोगों के लिए अलग बहियां रखेंगे**
(ii) **वे एसईजेड से बाहर से आने वाले लोगों से प्राप्त राजस्व के लिए आयकर लाभों को छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि कोई हो**
(iii) **वे ड्यूटी तथा टैक्स फ्री ढंग से केवल पूंजी तथा शुरुआती स्थापना की मदें खरीदेंगे**
(iv) **सभी डीटीए बिलिंग लागू सेवा कर के साथ की जाएगी**

(v) **सभी उपभोज्य वस्तुओं का क्रय केवल लागू शुल्कों और करों का भुगतान करके किया जाएगा जब तक कि वे डीटीए सेवा प्रदान करना बंद नहीं कर देंगे**

(vi) **कौशल विकास केन्द्र प्रवेश एवं निकास द्वारों के बिल्कुल निकट स्थित होगा तथा डीटीए प्रशिक्षणार्थियों को आईडी बैज प्रदान किए जाएंगे।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स विल्लावरयार एंड संस ने 1 एकड़ के क्षेत्रफल में 100 टन का इलेक्ट्रानिक तौल सेतु स्थापित एवं प्रचालित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 01 अगस्त, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) ग्राम अटिप्रा, तालुक एवं जिला तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.8765 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 50.2 हेक्टेयर (100 एकड़) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा आईटी सेक्टर के उद्योग का विकास करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 16 दिसंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) कोझीकोड जिला, केरल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स साइबर पार्क्स, कोझीकोड का अनुरोध

10.1210 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स साइबर पार्क्स, कोझीकोड ने उक्त एसईजेड में 4.3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 16 दिसंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है:

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि सह विकासक को पट्टा पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि सुधार के अधीन है तथा उन्होंने एसईजेड में भूमि शामिल किए जाने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। राजस्व विभाग ने यह भी अनुरोध किया कि प्रस्ताव के वित्तीय ब्यौरे भी प्रदान किए जाएं। अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व विभाग के अनुरोध पर प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त से राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा।

विकास आयुक्त, मुंद्रा पोर्ट एसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि भूमि एसईजेड का पहले से ही अंग है। विकास आयुक्त ने प्रस्ताव के वित्तीय ब्यौरों को भी संलग्न किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.1766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक अर्थात मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) का विलय निम्नलिखित कंपनियों में हो गया है :

(i) **मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल)**
(ii) नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल)
(iii) फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल)

2011 की कंपनी स्कीम याचिका संख्या 504, 505 और 506 में आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के माध्यम से बांबे में जुडीकेटर के माननीय उच्च न्यायालय के कंपनी बेंच द्वारा उक्त डीमर्जर किया गया है। सभी तीन कंपनियों के शेयरधारक समान हैं।

विकासक (एफआईपीएल) ने अपने एसईजेड की सभी भूमि तथा मौजूदा निर्माण का स्वामित्व मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) को अंतरित करने का प्रस्ताव किया है, जो विकासक के रूप में उनको प्रतिस्थापित करेगा, जबकि फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) एमआईडीसी, डीसी नियमावली के अनुसार उपलब्ध शेष / अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग करेगा और उक्त डीसी नियमावली के अनुसार अतिरिक्त निर्माण के लिए उसे एसईजेड में शामिल करेगा तथा सह विकासक के रूप में आएगा।

उपर्युक्त के अनुसार डिमर्जर के लिए विकासक का अनुरोध इस बैठक में मद संख्या 50.23 (iv) के माध्यम से विचाराधीन है।

तद्नुसार मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने साथ ही उपर्युक्त एसईजेड में 5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संबद्ध विकास के साथ आईटी स्पेस के 1.5 मिलियन वर्गफीट के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। त्रिपक्षीय सह विकासक करार दिनांक 29 दिसंबर 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। मद संख्या 50.23(iv) पर अनुरोध के अनुमोदन के अधीन सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त बहु उत्पाद्य एसईजेड 1000 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है। मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 32.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के तहत शामिल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 5 दिसंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.6994 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 0.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 29 जून, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड अधिसूचित किया गया है। 16 सितंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड को लगभग 136 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं अर्थात एलएनजी टर्मिनल, भंडारण तथा पुन: गैसीकरण की सुविधाओं, गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट तक होगी) तथा संबद्ध सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए

एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल :			
	a) जेट्टी प्लेटफार्म	----	लागू नहीं	1200
	b) ब्रेस्टिंग एंड मूरिंग डॉल्फिन	----	लागू नहीं	1100
	c) संपर्क ढांचा (रोडवे और पाइपिंग सहित)	----	लागू नहीं	14580
2.	एलएनजी भंडारण टैंक	----	लागू नहीं	12748
3.	पुन: गैसीकरण की सुविधाएं	----	लागू नहीं	19000

विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड द्वारा अनुरोध की सिफारिश की गई है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध [इस मद पर विचार करना उपर्युक्त मद 50.2(vii) के माध्यम से विचाराधीन मैसर्स एआईसीटीपीएल को सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने के अधीन है]

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए एआईसीटीपीएल का अनुरोध विचाराधीन है। मैसर्स एसीटीआईपीएल ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कंटेनर जेट्टी तथा संबद्ध सुविधाएं	----	लागू नहीं	43740
2.	कंटेनर यार्ड तथा संबद्ध सुविधाएं	----	लागू नहीं	422750

विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड द्वारा अनुरोध की सिफारिश की गई है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.4 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) हासन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम (केआईएडीबी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 281.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 109.295 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि एसईजेड में विकास कार्य के लिए अब तक 32.38 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। एसईजेड में 4 यूनिटों को भूमि आवंटित की गई है तथा एक यूनिट कार्यान्वयन के अंतिम चरण पर है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए विकासक को पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि उन्होंने मास्टर प्लान के अनुमोदन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) प्लाट नंबर सी-01, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओसीई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.11753 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 14 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि नोएडा प्राधिकरण ने अनेक अनुस्मारक के बावजूद 200 के एफएआर जो नोएडा में आईटी / आईटीईएस परियोजनाओं के लिए सामान्यतया ग्राह्य है, और उत्तर प्रदेश एसईजेड (संशोधित) नीति, 2007 के अनुसार प्रसंस्करण के लिए लागू 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एफएआर के लिए क्लियरेंस प्रदान करने में लगभग साढ़े तीन साल का असामान्य विलंब किया है। विकासक ने बताया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने, खुदाई की अनुमति प्राप्त करने, अग्नि सुरक्षा तथा हाइट क्लियरेंस के लिए सभी पेपर तैयार हैं और नोएडा प्राधिकरण से योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही अल्प अवधि में ये सभी क्लियरेंस प्राप्त किए जाएंगे। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 15.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.5975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कुल परियोजना एवं विकास के मास्टर प्लान में सीमाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त भूमि की खरीद को ध्यान में रखते हुए तथा बाजार कारकों के कारण भी विकास कार्य में विलंब हुआ है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि 2 मई 2008 को अधिसूचना के बाद अनुमोदित परियोजना को लागू करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुरोध की सिफारिश नहीं की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) छरोडी और ट्रागड गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 दिसंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 20 दिसंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 32.713 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 19 दिसंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि मुख्यत: भूमि के अधिग्रहण के लिए विकासक ने अब तक 46.18 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विकासक

अगले वर्ष में लगभग 36 करोड़ रुपए का निवेश करेगा तथा उन्होंने अवसंरचना के विकास के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 185 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए विकास आयुक्त ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.5 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 13.5426 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28.9 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक साल के लिए एक विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 को समाप्त हो गया है। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि चूंकि उत्तराखंड सरकार ने अपनी एसईजेड नीति को अंतिम रूप नहीं दिया इसलिए न तो मास्टर प्लान को अनुमोदित कराना संभव हुआ और न ही यूनिटों के लिए राज्य विशिष्ट रियायतें प्राप्त करना संभव हुआ। इसलिए विकासक ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण परियोजना में विलंब हुआ है जो उसके नियंत्रण से परे हैं। एनसी, एनएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश नहीं की है कि परियोजना को लागू करने के लिए अब तक विकासक द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 42.7045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक साल के लिए एक विस्तार प्रदान किया गया है जो 5 नवंबर, 2010 को समाप्त हो गया है। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि कंपनी परियोजना को लागू करने की इच्छुक है। तथापि, दुर्भाग्य से एसईजेड के रूप में अधिसूचित भूमि के एक छोटे अंश का स्वामित्व दोषपूर्ण था जिससे भूमि की सन्निकटता में अंतराल उत्पन्न हुआ है। इसलिए 1 एकड़ की अतिरिक्त भूमि का क्रय किया जाना था। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी तक भूमि का क्रय नहीं हो पाया है। इसलिए विकासक ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण परियोजना में विलंब हुआ है जो उसके नियंत्रण से परे हैं। एनसी, एनएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश नहीं की है कि परियोजना को लागू करने के लिए अब तक विकासक द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड	एफटीडब्ल्यूजेड, 40 हेक्टेयर	डाकघर रेडी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 31 दिसंबर, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 30 दिसंबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि अब तक 8.11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न कारणों से कंपनी ने अभी तक कलेक्टर से सरकारी भूमि का पट्टा प्राप्त नहीं किया है और इसलिए वे 40 हेक्टेयर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता की भरपाई करने की स्थिति में नहीं हैं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।
2.	मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड)	250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग	अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 15 नवंबर, 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 29 जनवरी, 2010 के माध्यम से 15 नवंबर 2009 से नई सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद एक बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। एलओए की वैधता अवधि 15 नवंबर, 2011 को समाप्त हो गई है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने एसईजेड के लिए 234 हेक्टेयर भूमि के क्रय के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने एसईजेड के लिए 100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण सफलतापूर्वक कर लिया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

मद संख्या 50.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड	एमआरओ सहित एयरपोर्ट / एविएशन, 101.1714 हेक्टेयर	देंकरुकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 21 नवंबर, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक 74.0859 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुका है तथा 6-9 माह के अंदर शेष भूमि का अधिग्रहण हो जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल के लिए पुन: समय बढ़ाने की सिफारिश

				की है।

मद संख्या 50.8 : पांचवे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को समय-समय पर विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 21 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 103.1983 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है तथा उम्मीद है कि 9 माह के अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा। 19 सितंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध के औचित्य तथा परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में प्रधान सचिव (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया। तद्नुसार क्षेत्रीय विकास आयुक्त मामले को उठा सकते हैं। तद्नुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।"

अब इस मामले में विकास आयुक्त, एफएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र दिनांक 14 नवंबर 2011 अग्रेषित किया है जिसमें विकासक को पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की गई है तथा यह भी सूचित किया गया गया है कि विकासक बहुत शीघ्र परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि को प्राप्त करने की स्थिति में होगा। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

मद संख्या 50.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) नगवारा गांव, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.876 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 6.187 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने तथा इतने ही क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विकासक ने बताया है कि संबंधित क्षेत्र के विकासक से संबंधित मास्टर प्लान में परिवर्तन के कारण क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती की जा रही है। इसलिए विकासक द्वारा उपर्युक्त प्रस्तावित एसईजेड के री-एलाइनमेंट के लिए अनुरोध किया गया है। विकासक ने सूचित किया है कि विमुक्त किए जा रहे क्षेत्रफल के संबंध में कोई ड्यूटी फ्री लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एसईजेड के रि-एलाइनमेंट के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में 10.361 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड 29 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 1 मार्च, 2011 को 2.312 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया था। एसईजेड क्रियाशील है। स्थान के लिए मांग को पूरा करने के लिए विकासक ने 2.023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल 14.696 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.10 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 2 अप्रैल 2011 के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के माध्यम से विकासक को 108.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.3101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 02 अप्रैल, 2011 तक वैध थी। 2011 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"तथापि अनुमोदन बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखा कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 अप्रैल 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है।"

विकासक ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। बताया गया है कि यह परियोजना मैसर्स अन्ना होल्डिंग (मारीशस) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम करार में है जिसकी वजह से 328 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है। एसईजेड के विकास में मुख्य बाधा हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न अनुमोदन / अनुज्ञप्तियां प्रदान करने में असाधारण विलंब है जिसमें अन्य बातों के साथ पानी एवं बिजली के कनेक्शन जैसी बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस एसईजेड को 10 जून 2008 को अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की तिथि से दो साल से अधिक समय बाद अधिसूचित किया गया। राज्य सरकार से पानी की उपलब्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन विकासक द्वारा 30 सितंबर 2010 को प्राप्त किया गया तथा परियोजना के लिए विद्युत कनेक्शन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। विकासक द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। विकासक ने निजी सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध-3 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.11 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मलूमिचामपट्टी, कोयंबटूर दक्षिण तालुक, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि परवर्तित आर्थिक परिदृश्य में परियोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह गई है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक ने एसईजेड के संबंध में कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.12 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) दबग्राम, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विडियोकॉन रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 19 मई, 2009 के माध्यम से दबग्राम, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विडियोकॉन रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि कंपनी क्षेत्र के नवीनतम व्यवसाय परिदृश्य के कारण परियोजना को लागू करने की स्थिति में नहीं है। विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.13 : सह विकासक का दर्जा वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जा को वापस करने के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 14 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। एलओए दिनांक 16 अगस्त 2007 के माध्यम से मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब सह विकासक ने यह कहते हुए अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि बाजार की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जा को वापस करने के लिए मैसर्स डीएलएफ युटिलिटीज लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 14 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। एलओए दिनांक 16 अगस्त 2007 के माध्यम से मैसर्स डीएलएफ युटिलिटीज लिमिटेड को एसईजेड में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब सह विकासक ने यह कहते हुए अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि बाजार की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.14 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) हासन जिला, कर्नाटक में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" से बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए मैसर्स ऑप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

101.171 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केआईएडीबी औद्योगिक विकास केन्द्र, डोड्डाबसवानाहल्ली तथा चिक्काबसवानाहल्ली गांव, शांतिग्राम होबली, हासन तालुक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 जून 2010 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड का सेक्टर बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण का संबंध है, विकासक ने बताया है कि हासन जैसे टियर 2 शहरों में आईटी / आईटीईएस तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सेक्टर के लिए मांग कम है। चिकित्सा डिवाइसों तथा इंस्ट्रूमेंट के विनिर्माण की गुंजाइश बेहतर है। इसके अलावा कंपनी ने नए सेक्टर में यूनिटें स्थापित करने के लिए कुछ उद्यमियों से प्रतिबद्धताएं प्राप्त की है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि के अनुरोध पर उसे आस्थगित कर दिया गया। अब कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि 9 नवंबर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में राज्य उच्च स्तरीय क्लियरेंस समिति ने एसईजेड के सेक्टर को आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर से बदलकर चिकित्सा एवं अन्य प्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं

सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज के निर्माण के लिए एसईजेड करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की है। अनुमोदन के लिए अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का भी अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कलवारा गांव, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग" से बदलकर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित इंजीनियरिंग" करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

103.1775 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 06 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 119.1539 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की गई तथा इस वृद्धि के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 222.673 हेक्टेयर हो गया है। विकासक ने एसईजेड का सेक्टर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग" से बदलकर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित इंजीनियरिंग" करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि उनको एसईजेड में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) सहित मीडियम एवं हाई इंजीनियरिंग उद्योगों से पूछताछ प्राप्त हो रही है तथा भारी इंजीनियरिंग यूनिटें इंजीनियरिंग सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा हैं तथा लाइट इंजीनियरिंग गुड्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से इनपुट के रूप में ऐसे भारी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसलिए एसईजेड का सेक्टर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग" से बदलकर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित इंजीनियरिंग" करने से वे इंजीनियरिंग सेक्टर की मांग को अधिक पूरा करने की स्थिति में होंगे। उक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 1 जून 2011 से क्रियाशील है तथा 30 नवंबर 2011 तक 9.49 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) त्रिवेंद्रम, केरल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी (एनिमेशन एवं गेमिंग)" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए किनफ्रा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 12 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड का सेक्टर "आईटी (एनिमेशन एवं गेमिंग)" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि वैश्विक मंदी के कारण एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर नैस्कॉम की रिपोर्टों में उल्लिखित अपेक्षित स्तर पर निष्पादन नहीं कर सकता है। इसके अलावा भारतीय एनिमेशन सेक्टर अपना राजस्व यूएस और यूके से प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस से आउटसोर्सिंग से अर्जित करता है। एनिमेशन सेक्टर के लिए वैश्विक बाजार का शेयर आईटी एवं आईटीईएस सेक्टर की तुलना में बहुत कम है। विकासक ने बताया है कि अवसंरचना प्रदान करने तथा इस उद्योग में संवर्धन के लिए अपेक्षित परिवेश का सृजन करने के लिए भी काफी निवेश किया गया है। इसके अलावा अनेक तरीकों से आक्रामक विपणन के प्रयासों के बावजूद एनिमेशन उद्योग से अंतिम रिस्पांस बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। इन परिस्थितियों में विकासक ने एसईजेड का सेक्टर "आईटी (एनिमेशन एवं गेमिंग)" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया है ताकि वे सहज ढंग से व्यवसाय संचालित कर सकें और इस प्रकार राज्य की निधियों को निष्क्रिय पड़े रहने से बचाया जा सके।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.15 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 22 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर के निर्माण तथा पीसीटी विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी दिनांक 23 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 22 दिसंबर 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने अपनी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने ग्रीनरी के साथ साइट पर वृक्षारोपण सहित साइट पर चारदीवारी, वाटर संप प्लांट का निर्माण कर लिया है। उन्होंने भवन के निर्माण के लिए ड्राइंग को अंतिम रूप दे दिया है। पीसीबी विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए मशीनरी को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा मई 2012 के अंत तक प्रचालन शुरू करने के लिए प्लांट पर मशीनरी तैयार हो जाएगी। यूनिट ने भूमि में निवेश सहित आज तक कुल 2.465 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब मंदी तथा बाजार में भारी उतार चढ़ाव के कारण हुआ है तथा यह भी बताया है कि उनके मार्ग में अक्सर बंद तथा अन्य बाधाएं आई हैं। मई 2012 के अंत तक यूनिट द्वारा अपना उत्पादन आरंभ करने की उम्मीद है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 22 दिसंबर 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 31 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार आर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो केआईएडीबी (फार्मा) एसईजेड, हासन, कर्नाटक की एक यूनिट है, का अनुरोध

जिंक पाइरीथियोन, कैरागीनम, सीयूपी, रोज, आक्सुड तथा चिबा के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 1 जनवरी 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कुमार

आर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के एलओपी की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 31 दिसंबर, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने एल साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि यूनिट ने अब तक 795 लाख रुपए का निवेश किया है (इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है) और फरवरी 2012 से उत्पादन आरंभ होने की संभावना है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

31 दिसंबर, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.16 : पांचवे साल के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 अगस्त, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड (पीआईएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 16 अगस्त, 2007 के माध्यम से मैसर्स पीआईएल को पोली क्लोरोप्रीन के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 15 अगस्त, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने 15 अगस्त 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने यूनिट द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि यूनिट ने अब तक 350 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा और 50 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता की है।

यूनिट ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा इंजीनियरिंग परामर्शदाता (मैसर्स यूएचडीई) के साथ समीक्षा एवं चर्चा के दौरान लाभप्रदता के लिए प्लांट का न्यूनतम आकार 36000 टीपीए पाया गया जबकि पहले चरण में 20000 टीपीए का निर्माण किया जा रहा है। इस संशोधित क्षमता पर प्लांट वैश्विक कंपनियों के साथ होड़ करने में समर्थ होगा तथा 10-15 प्रतिशत का बाजार शेयर प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। क्षमता में वृद्धि की पूंजी लागत लगभग 750 करोड़ रुपए होगी, जबकि पहले 500 करोड़ रुपए की परिकल्पना की गई थी। इस पूंजी व्यय से यूनिट वैश्विक बाजार में होड़ करने के लिए विश्व स्तरीय प्लांट का निर्माण करने में समर्थ होगी। पूर्ण होने तथा पूर्ण क्षमता पर प्लांट बहुमूल्य विदेशी मुद्रा में लगभग 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का सृजन करेगा। आरंभिक क्षमता में इस परिवर्तन के कारण पूरा होने की संभावित अवधि अब दिसंबर 2013 के आसपास होगी।

यूनिट ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ चर्चा के दौरान वे परियोजना को पूरा करने तथा चालू करने के लिए बढ़ाई गई अवधि के लिए सरकारी अनुमोदन पर बल दे रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यूनिट ने दिसंबर 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने दिसंबर 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

वर्तमान अनुरोध एक बार में एक साल से अधिक अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए है जो उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार नहीं है। तथापि, यूनिट द्वारा प्रदान किए गए औचित्य तथा विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड 15 अगस्त 2013 तक समझा जाए।

(ii) 3 दिसंबर 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में ईएलसीओटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 04 दिसंबर, 2007 के माध्यम से मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 3 दिसंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने 36 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा इस साल की दूसरी तिमाही के अंत तक प्रचालन आरंभ होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल के लिए पुन: समय बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 5 मार्च 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज को एलओपी दिनांक 6 मार्च 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में एलएनजी से सी2, सी3 और सी4 की एक रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 5 मार्च 2013 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्लांट के उत्थापन का कार्य पूरा कर लिया है तथा यांत्रिक दृष्टि से कमिशनिंग के लिए तैयार है। यूनिट ने अब तक 793.67 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा वर्तमान रोजगार 279 है। इसने प्लांट को चालू करने से पूर्व प्रेसर रिलीविंग सिस्टम आदि के आवश्यक उन्नयन के बाद मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) से भंडारण लाइसेंस प्राप्त किया है। यूनिट ने परियोजना को चालू करने में विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया है (i) दोहरा सीमा शुल्क लगाए जाने के मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव (ii) निवल विदेशी मुद्रा अर्जक (एनएफई) के स्टेटस पर स्पष्टीकरण (iii) सिमटते एलएनजी के विरुद्ध गैस के उपयोग के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अनुमोदन।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए एलओपी को पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.17 : "फेरो मैगनीज स्लैग" जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड जो अत्चुतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड ने फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त एपीएसईजेड से अनुरोध किया है, जो निर्मित उत्पादक अर्थात सिलिकॉन मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल में से एक है। फेरो मैग्नीज स्लैग सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 26209900 के तहत शामिल है तथा आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार इसका आयात और निर्यात प्रतिबंधित है। यूनिट ने सूचित किया है कि 12 माह के लिए उत्पादन योजना के अनुसार उक्त कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा 204000 मीट्रिक टन (अर्थात 17000 मीट्रिक टन प्रतिमाह) है।

विकास आयुक्त ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे अनुरोधों के लिए अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.18 : विधिक स्रोतों से आवंटित किए गए / खरीदे गए रेड सैंडर्स वुड से मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्माण और निर्यात के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स जितान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

उपर्युक्त कंपनियों ने रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पादों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट / पार्ट्स, रेड सैंडर्स डाई, रेड सैंडर्स एक्सट्रैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर पार्ट्स आदि के निर्माण के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिटें रेड सैंडर्स वुड से डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के निर्माण और निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग से रेड सैंडर्स वुड प्राप्त करना चाहती हैं। रेड सैंडर्स वुड (यूनिट के लिए कच्चा माल) वर्गीकरण कोड [आईटीसी (एचएस) का क्रमांक 154] के अनुसार निर्यात के लिए निषिद्ध मद है। तथापि "आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण कोड (क्रम संख्या 155) के अनुसार रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे कि एक्सट्रैक्ट, डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स जो कानूनी स्रोत से प्राप्त किए गए रेड सैंडर्स वुड से निर्मित किए गए हैं, निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार, वन विभाग ने सरकारी आदेश संख्या 102 दिनांक 17 मार्च 2011 के माध्यम से मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैदराबाद को 374.278 मीट्रिक टन सी ग्रेड रेड सैंडर्स वुड तथा 693.508 मीट्रिक टन नॉन ग्रेड सैंडर्स वुड आवंटित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार, वन विभाग ने सरकारी आदेश संख्या 90 दिनांक 9 मार्च 2011 के माध्यम से मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट्स, हैदराबाद को सी ग्रेड के रेड सैंडर्स वुड का मीट्रिक टन आवंटित किया है।

चूंकि रेड सैंडर्स वुड प्रतिबंधित मद है इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने का अनुरोध किया है। तद्नुसार 22 जुलाई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखा गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"प्रस्ताव इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि यूनिट द्वारा किन विशिष्ट उत्पादों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। सैंडल वुड का निर्यात एफटीपी के अनुसार अनुमत नहीं है। अनुमोदन बोर्ड को ऐसी मदों के निर्यात के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में भी सूचना प्रदान की गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया।

मैसर्स जितान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तथा मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट्स ने अब अनुमोदन बोर्ड से यह कहते हुए यूनिट स्थापित करने के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि प्रस्ताव रेड सैंडर वुड को, न कि सैंडल वुड को विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों अर्थात एक्सट्रैक्ट, डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स में परिवर्तन के लिए परिवर्तित करने के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए है। साथ ही सैंडल वुड और रेड सैंडर्स वुड दोनों में चूंकि यह वुड का निर्यात है इसलिए प्रतिबंधित है और सैंडल वुड से बनी वस्तुएं फ्री लिस्ट में हैं। तथापि, कानूनी स्रोतों से खरीदे गए रेड सैंडर वुड से बनी वस्तुओं के मामले में यह प्रतिबंधित सूची में है।

यह भी बताया गया है कि रेड सैंडर्स वुड को अपने पास रखने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में अलग कानून है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से रेड सैंडर्स वुड की खरीदारी की है, जो शीर्ष संख्या 155 अर्थात कानूनी स्रोतों से खरीद में पूर्व शर्त है। आंध्र प्रदेश रेड सैंडर्स वुड अधिभोग अधिनियम / नियमावली के अनुसार, कंपनी द्वारा परिवर्तित उत्पादों के निर्यात के लिए शेष शर्तों का पालन किया जाएगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने निर्णय की समीक्षा करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने की सिफारिश की है।

मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.19 : अनुमोदन पत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स एसआईएमएस रीसाइकलिंग सोल्यूशंस इंडिया जो एनएसईजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एनसी, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स एसआईएमएस को आउटडेटेड कंप्यूटर, आईटी कंपोनेंट, ई-वेस्ट तथा पीसीबी की रिसाइकलिंग के लिए एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 27 नवंबर 2007 प्रदान किया गया है। यूनिटों ने 1 मई 2008 को प्रचालन शुरू किया। एपीआर के अनुसार यूनिट का वर्षवार निष्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	आयात (वर्ष के दौरान उपभुक्त)	एनएफई स्थिति
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	122.82 लाख रुपए	1.28 लाख रुपए	121.54 लाख रुपए

यूनिटों ने एलओए में मिक्स्ड फेरस मेटल, मिक्स्ड नॉन फेरस मेटल तथा मिक्स्ड प्लास्टिक स्क्रैप के संग्रहण और निर्यात को शामिल करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एनएसईजेड से अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन के लिए यूनिट ने प्लांट एवं मशीनरी में 85 लाख रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। 111 लाख रुपए के प्रक्षेपित संचयी एनएफई के साथ यूनिट द्वारा प्रस्तावित समावेशन के लिए प्रदान किया गया अनुमान इस प्रकार है :

वर्ष :	1	2	3	4	5	कुल
निर्यात का एफओबी मूल्य	122	152	190	237	297	998
फोरेक्स आउटगो	108	135	169	211	264	887
एनएफई	14	17	21	26	33	111

चूंकि यूनिट रिसाइकलिंग का काम करती है इसलिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एलओए की ब्राड बैंडिंग के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.20 : मंजूरी पत्र के विलय के लिए मैसर्स एलिगेंट कलेक्शन जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स एलिगेंट कलेक्शन को एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए दो अनुमोदन पत्र जारी किए गए हैं। एक दिनांक 17 मार्च 1987, यथासंशोधित, प्लेन / स्टडेड गोल्ड / प्लेटिनम / सिल्वर ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात के लिए और दूसरा दिनांक 26 जुलाई 1993, यथा संशोधित, प्लेन और स्टडेड प्लेटिनम, गोल्ड एवं सिल्वर ज्वैलरी, डायमंड और बहुमूल्य पत्थर जड़े गैर बहुमूल्य एलॉय मेटल ज्वैलरी के निर्माण और निर्यात के लिए। अनुमान में संशोधन के साथ एलओए दिनांक 17 फरवरी 1987 का एलओए दिनांक 26 जुलाई 1993 के साथ विलय करने के लिए यूनिट का प्रस्ताव 16 नवंबर 2011 और 7 दिसंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष रखा गया। समिति ने पाया कि एसईजेड अधिनियम / नियमावली 2006 में एलओए के विलय के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए समिति ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मामले को संदर्भित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.21 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड - एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी - आईटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्रियाशील यूनिट है। यूनिट ने 1579 लाख रुपए मूल्य का निर्यात किया है तथा 31 मार्च 2011 तक की स्थिति के अनुसार 1551.66 लाख रुपए का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है। यूनिट ने बताया है कि कॉर्पोरेट विस्तार योजनाओं तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वे

अपनी यूनिट को एमडब्ल्यूसी आईटी - एसईजेड से मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने नए लोकेशन में पट्टा पर स्थान प्राप्त करने के लिए विकासक से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 59 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे अनुरोधों को मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.22 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स आलपस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स आलपस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को एलडीपीई / एचडीपीई / पीपी ग्रेन्यूल के निर्माण और निर्यात के लिए फाल्टा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 9 मई 1997 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 16 दिसंबर, 1998 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यूनिट ने 15 दिसंबर 2008 को 5 वर्षों के प्रचालन का दूसरा ब्लाक पूरा कर लिया है। इसके बाद यूनिट ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। निम्नलिखित कारणों से अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए एसईजेड द्वारा अनुरोध की सिफारिश नहीं की गई :

(क) दांडिक ब्याज सहित पट्टा किराया की 30.16 लाख रुपए की राशि एसईजेड में यूनिट द्वारा अधिभुक्त भूमि तथा स्थान के लिए 31 मार्च 2009 तक देय हो गई थी।
(ख) यूनिट ने कोई भौतिक निर्यात नहीं किया। यह डीटीए बिक्री कर रही थी जिसके भुगतान की वसूली एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 53 क (एन) के अनुसरण में डीटीए क्रेता के ईईएफसी लेखा से विदेशी मुद्रा में की जानी थी ताकि यूनिट सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर सके। परंतु बार बार अनुरोध के बावजूद यूनिट ने निर्यात के प्रमाण के रुप में बीआरसी प्रस्तुत नहीं किया।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि विशेष रूप से पट्टा किराया की विशाल देय राशि के गैर भुगतान के मामले पर 22 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में चर्चा हुई। यूनिट को सुने जाने का अवसर भी प्रदान किया गया था। तथापि, यूनिट द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद एलओपी का नवीकरण न करने का निर्णय लिया गया तथा यूनिट को भूमि / स्थान तत्काल सरेंडर करने की सलाह दी गई ताकि एफएसईजेड उसे अन्य संभावित नई यूनिटों को पुन: आवंटित कर सके। पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 के माध्यम से निर्णय के बारे में सूचित किया गया। यूनिट ने कोलकाता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। रिट याचिका पर 3 मई 2010 को सुनवाई हुई तथा माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया जिसमें 30 अप्रैल 2010 तक देय ब्याज एवं दंड सहित बकाया पट्टा किराया का भुगतान 31 मई 2011 तक और शेष भुगतान 30 जून 2010 तक करने का निदेश दिया और यह भी निदेश दिया कि याचिकाकर्ता के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने में बाधा खड़ी नहीं करनी चाहिए यदि याचिकाकर्ता 31 मई 2010 तक बकाया दांडिक देय का 50 प्रतिशत जमा कर देता है। बकाया किराया जमा होकर 2427995 रुपए + दांडिक ब्याज 1115240 रुपए हो गया है। तद्नुसार 3 मई 2010 के माननीय न्यायमूर्ति के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता यूनिट ने 31 मई 2010 को ब्याज सहित बकाया पट्टा किराया के 50 प्रतिशत के लिए 1800000 रुपए जमा किए हैं तथा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, फाल्टा एसीजेड को अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान करने का अनुदेश दिया गया। तथापि, एलओपी का

नवीकरण न होने के कारण यूनिट अपनी गतिविधि का संचालन नहीं कर सकी, जो 15 दिसंबर 2008 को समाप्त हो गया है क्योंकि एलओपी के नवीकरण को बकाया किराया के शेष 50 प्रतिशत की प्राप्ति न होने के कारण विकास आयुक्त द्वारा आस्थगित रखना पड़ा जिसे 30 जून 2010 तक याचिकाकर्ता यूनिट द्वारा जमा किया जाना था।

यूनिट ने एलओपी के नवीकरण के माध्यम से अपने प्रचालन को अनुमत करने के लिए एफएसईजेड से अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने निम्नलिखित आधार पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिटों के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक 3 माह की अवधि के लिए या जैसा उचित समझा जाए, एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है :

(i) **कोर्ट केस से बचना (शेष बकाया पट्टा किराया के भुगतान पर)**
(ii) **देय रेंटल के भुगतान पर भूमि एवं शेड का पुनर्प्रयोग।**
(iii) **रोजगार सृजित करना।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.23 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) अपना नाम बदलकर मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है जो 19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है। विकासक ने कंपनी का नाम "मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड" से बदलकर "मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड" करने के लिए प्रस्ताव किया है।

विकासक ने बताया है कि 15 जनवरी 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स जेपी मोर्गन इंडिया प्रापर्टी मॉरिशस कंपनी 2 (जेपीएम) द्वारा एफडीआई के कारण कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन को नोट किया तथा नए परिवर्तित नाम में शेयर होल्डिंग को परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन के फलस्वरूप संस्था पिछली तिथि और एफडीआई निवेशक (जेपीएम) द्वारा निवेश की तिथि की तरह बनी रहेगी। इस संबंध में विकासक से प्राप्त पत्र दिनांक 11 जनवरी 2012 अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) अपना नाम बदलकर मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड विभिन्न एसईजेड का विकासक है जो इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	अधिसूचना की	क्षेत्रफल

		तिथि	(हेक्टेयर में)
1.	कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	11 अगस्त, 2006	10.53
2.	ग्राम उथुकुली, जिला एरोड, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड	9 जून, 2008	103.6457

मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड कर लिया है तथा उपर्युक्त एसईजेड में अपना नाम बदलने के लिए अनुरोध किया है जिनमें यह विकासक है। कंपनी रजिस्ट्रार, तमिलनाडु द्वारा 22 जुलाई 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ है तथा शेयरहोल्डिंग पैटर्न, निदेशकों तथा कंपनी के प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुरोध श्रेणी 1 में आता है जो "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में है। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिसूचित हैं इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की शेष 49 प्रतिशत इक्विटी मैसर्स एलएंडटी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एलएंडटी यूआईएल) को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 1 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था।

कंपनी की शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार है :

क्र. सं.	शेयरधारकों / प्रमोटरों का नाम	होल्डिंग का प्रतिशत
1.	मैसर्स एलएंडटी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी)	51
2.	मैसर्स अरुण एक्सेलो कंस्ट्रक्शंस एलएलपी	49

15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक (मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) को मैसर्स एलएंडटी यूआईएल जो रणनीतिक निवेशक के रूप में आया है, को 51 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश पर अपना नाम बदलकर मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अब मैसर्स अरुण एक्सलो ने मैसर्स एलएंडटी यूआईएल शेष 49 प्रतिशत इक्विटी बेचकर इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, जो इस समय विकासक कंपनी में 51 प्रतिशत इक्विटी का धारक है। इस एसईजेड के लिए एक मात्र संयुक्त उद्यम साझेदार होने के कारण मैसर्स एलएंडटी यूआईएल ने मैसर्स अरुण एक्सेलो कंस्ट्रक्शंस एलएलपी के स्वामित्व वाले 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर को खरीदने का निर्णय लिया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) कंपनी के डिमर्जर जिससे तीन कंपनियों का जन्म होगा, तथा एक डिमर्ज कंपनी को अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.1766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक कंपनी अर्थात मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) का विलय निम्नलिखित कंपनियों में हो गया है :

(i) **मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल)**
(ii) नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल)
(iii) फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल)

2011 की कंपनी स्कीम याचिका संख्या 504, 505 और 506 में आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के माध्यम से बांबे में जुडीकेटर के माननीय उच्च न्यायालय के कंपनी बेंच द्वारा उक्त डीमर्जर किया गया है।

विकासक (एफआईपीएल) ने अपने एसईजेड की सभी भूमि तथा मौजूदा निर्माण का स्वामित्व मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया है, जो विकासक के रूप में उनको प्रतिस्थापित करेगा। विलय से उत्पन्न अन्य कंपनी अर्थात फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) एमआईडीसी, डीसी नियमावली के अनुसार उपलब्ध शेष / अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग करेगा तथा उक्त डीसी नियमावली के अनुसार अतिरिक्त निर्माण के लिए एसईजेड में उसे शामिल करेगा और सह विकासक के रूप में आएगा। सभी तीन कंपनियों के शेयरधारक समान हैं।

विकासक ने अपनी विलयित कंपनी अर्थात नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) को एसईजेड के स्वामित्व का अंतरण करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है तथा सह विकासक के रूप में एफटीपीएल को अनुमोदन प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। सह विकासक के दर्जा के लिए मैसर्स एफडीपीएल का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में भी विचार के लिए प्रस्तुत है [मद संख्या 50.2 (viii)]।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव श्रेणी 3 (न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में विलय) में आता है जो "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में है। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिसूचित हैं इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) मैसर्स एक्सेलस्टार वेंचर्स 1 एलएलसी को संपूर्ण इक्विटी शेयर होल्डिंग का 50 प्रतिशत अंतरित करने के लिए मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

पारिगी एवं सेरीकोकुम गांव, पारिगी मंडल, सी कोडिगेपल्ली गांव, मादकासारा मंडल, अनंतपुरम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 366.409 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक ने मैसर्स एक्सेलस्टार वेंचर्स 1 एलएलसी को 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक कंपनी में 50 प्रतिशत शेयर का विनिवेश किसी विदेशी निवेशक मैसर्स एक्सेल स्टार वेंचर्स 1 एलएलसी एंड कोलैबोरेट में करना चाहता है तथा कंपनी एसईजेड के विकास में सहयोग करेगी। नया इक्विटी जारी करने तथा विकासक कंपनी की मौजूदा शेयर होल्डिंग के अंतरण के लिए यूएसए आधारित एनआरआई कंपनी के साथ प्रमोटर विकासक कंपनी द्वारा ज्वाइन और सब्सक्राइब करने के बारे में प्रस्तुत किए गए विवरण की प्रति अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है।

विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी परिवर्तित विकासक संस्था के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं के साथ क्षेत्र विशिष्ट बहु सेवा एसईजेड की गतिविधियों को अबाध रूप से जारी रखेगी; यह कि विकासक कंपनी परिवर्तित विकासक संस्था तथा उसके संघटकों द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस आदि सहित विकासकों पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों को पूरा करती है तथा यह कि विकासक कंपनी सभी राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि नियमावली की प्रयोज्यता का पालन करेगी, जो पूंजी अधिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, ट्रांसफर, करादेयता आदि जैसे मुद्दे को विनियमित करती है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सटीएसआई) को अपनी शेयर होल्डिंग का 100 प्रतिशत अंतरित करने के लिए सह विकासक मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीपीएल) का अनुरोध

मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को केयोनिक्स द्वारा शिमोगा, कर्नाटक में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए 29 नवंबर 2010 को एलओए प्रदान किया गया था। सह विकासक (जो एक्सचेंजिंग ग्रुप की कंपनी है) ने अब एक्सचेंजिंग ग्रुप के साथ आंतरिक पुनर्गठन के अंग के रूप में मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सचेंजिग ग्रुप कंपनी भी) को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स एक्सटीएसआई ने इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया है कि मैसर्स सीबीपीएल के शेयरों के उनके अधिग्रहण के बाद मैसर्स सीबीपीएल अलग कंपनी के रूप में बनी रहेगी तथा प्रचालन करेगी और शेयरों की ऐसी खरीद के अनुपालन में और परिसंपत्तियों या देयताओं के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.24 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सन एरोमेटिक्स की अपील

मैसर्स सन एरोमेटिक्स ने एरोमेटिक तथा संबद्ध उत्पादों के निर्माण के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। पत्र दिनांक 25 नवंबर 2011 (अनुबंध 7) के माध्यम से अपीलकर्ता को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मैसर्स सन एरोमेटिक्स ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

*****